कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com
Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक :– 01/यो0ब0–14/2016– 733

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका/पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/गुमला वन प्रमंडल, गुमला।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/सारण्डा वन प्रमंडल, सारण्डा।

दिनांक :–23/05/2016

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली दौरान "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत रंगीनी/कुसमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषको को प्रोत्साहन देने) हेतु एवं काजू पोसेसिंग प्लांट की स्थापना, साल पत्तल, सवई घास से रस्सी निर्माण का अग्रिम कार्य के लिए कुल 280.235 लाख (दो करोड़ अस्सी लाख तेइस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन के संबंध में।**

प्रसंग :– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या एवं पत्र संख्या 4/यो0बजट–25/2016–03/स्वी0 व0प0 दिनांक 13.05.2016 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0बजट–25/2016–37/आ0 व0प0 दिनांक 13.05.2016 ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत रंगीनी/कुसमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन **(JFM)** के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषको को प्रोत्साहन देने) हेतु एवं काजू पोसेसिंग प्लांट की स्थापना, साल पत्तल, सवई घास से रस्सी निर्माण का अग्रिम कार्य के लिए **कुल 280.235 लाख (दो करोड़ अस्सी लाख तेइस हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या एवं पत्र संख्या 4/यो0बजट–25/2016–03/ स्वी0 व0प0 दिनांक 13.05.2016 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0बजट–25 /2016–37/आ0 व0प0 दिनांक 13.05.2016 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना	मजदूरी	19P240601796090103	65.315
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796090323	211.244
		प्रशिक्षण व्यय	19P240601796090335	3.676
कुल आवंटित राशि				**280.235**

अर्थात् कुल **280.235 लाख (दो करोड़ अस्सी लाख तेइस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र** राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि **280.235 लाख (दो करोड़ अस्सी लाख तेइस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र** की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क) (ख) एवं (ग) में अंकित विवरणी के अनुरुप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रुप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों को अनुपालनार्थ एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांकः 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम–300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतनद दर के अनुरुप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक–16. 03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यो का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371, दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित

18. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

19. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो लाह की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन विभाग/अन्य किसी विभाग/सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित योजना से पूर्व में आच्छादित/लाभान्वित नहीं रहे है।

22. काजू पोसेसिंग प्लांट की स्थापना, साल पत्तल, सवई घास से रस्सी निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं विपणन वन विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाएगा, तथा पारिदर्शिता हेतु सभी भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किये जायेंगे।

23. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1 (क) (ख) एवं (ग), कार्य दर अनुलग्नक–2 (क) एवं (ख) एवं ऑन–लाईन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित

18. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

19. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो लाह की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन विभाग/अन्य किसी विभाग/सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित योजना से पूर्व में आच्छादित/लाभान्वित नहीं रहे है।

22. काजू पोसेसिंग प्लांट की स्थापना, साल पत्तल, सवई घास से रस्सी निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं विपणन वन विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाएगा, तथा पारिदर्शिता हेतु सभी भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किये जायेंगे।

23. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1 (क) (ख) एवं (ग), कार्य दर अनुलग्नक–2 (क) एवं (ख) एवं ऑन–लाईन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0 –14/2016– 733** राँची, दिनांक :–**23.05.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2015-16\Development\Prastaw\TSP\Anudan/Jharkhand Zoo Autority . 4

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliationससमय निश्चित

18. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

19. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो लाह की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन विभाग/अन्य किसी विभाग/सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित योजना से पूर्व में आच्छादित/लाभान्वित नहीं रहे है।

22. काजू पोसेसिंग प्लांट की स्थापना, साल पत्तल, सवई घास से रस्सी निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं विपणन वन विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाएगा, तथा पारिदर्शिता हेतु सभी भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किये जायेंगे।

23. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न–1 (क) (ख) एवं (ग), कार्य दर अनुलग्नक–2 (क) एवं (ख) एवं ऑन–लाईन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0 –14/2016– 733** राँची, दिनांक :–**23.05.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2015-16\Development\Prastaw\TSP\Anudan/Jharkhand Zoo Autority . 4

ज्ञापांक :–01/यो0ब0 –14/2016– 733 राँची, दिनांक :–23.05.2016

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, दुमका/कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़/कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/ कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2015-16\Development\Prastaw\TSP\Anudan/Jharkhand Zoo Autority . s

अनुलग्नक– 1(क)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2016–17 प्रथम वर्ष			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
2	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
3	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
4	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	125	12500	4.841	4.155	0.510	9.506
योग :–		**500**	**50000**	**19.364**	**16.620**	**2.040**	**38.024**

अनुलग्नक– 1(ख)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2016–17 प्रथम वर्ष			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	125	12500	6.282	60.029	0.510	66.821
2	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	125	12500	6.282	60.029	0.510	66.821
3	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	125	12500	6.282	60.029	0.510	66.821
योग :–		**375**	**37500**	**18.846**	**180.087**	**1.530**	**200.463**

23/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

D:\2016-17\Sub-Allotment 2016-17\TSP\MFP\MFP (Advance work)

अनुलग्नक– **1** (ग)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह को साल पत्तल, सवई घास से रस्सी निर्माण, बाँस से हस्तनिर्मित वस्तु तैयार करना संग्रहण तथा विपणन का कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु एक वर्षीय कार्य का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	कार्य विवरणी/भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17 प्रथम वर्ष			
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	काजू प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना	15.925	7.519	0.056	23.500
2	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	साल पत्तल एवं सवई घास से रस्सी निर्माण, संग्रहण तथा विपणन की योजना।	11.180	7.018	0.050	18.248
	योग :–		**27.105**	**14.537**	**0.106**	**41.748**

23/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर

लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रू० लाख में)

क्र0 सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2016–17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष 2017–18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 254.85					तृतीय वर्ष 2018–19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 293.08					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षो का चिह्नांकन	रू० 2.65 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	**0.331**		0.000	0.000	0.000	**0.000**		0.000	0.000	0.000	**0.000**	**0.331**	प्रति लाभुक परिवार 10 पलाश के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाएगा जिसे 5–5 वृक्षों के दो सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट–1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट –2 के वृक्षों की कटाई–छटाई फरवरी/मार्च माह में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रू0 प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**	**3.750**	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक–एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	**0.260**					**0.000**					**0.000**	**0.260**	
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रू० 1775/– प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		**2.219**					**0.000**					**0.000**	**2.219**	प्रथम वर्ष फरवरी/मार्च में सेट–1 के 6250 वृक्षों की कटाई–छटाई (50 वृक्ष प्रति 10 लाभुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट–2 के वृक्षों की कटाई–छटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई–छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	2.770			**2.770**	6250 वृक्ष	3.186			**3.186**					**0.000**	**5.956**	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1.00 कि0ग्रा0 प्रति वृक्ष; रू० 200.00 प्रति कि0ग्रा०					**0.000**	6250 वृक्ष		12.500		**12.500**	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष				**0.000**	**12.500**	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष					**0.000**	6250 वृक्ष	0.796			**0.796**	6250 वृक्ष	0.916			**0.916**	**1.712**	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संचारण सेट–1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट–2 के वृक्षों पर संचारण किया जाएगा जिसके लिए सेट–1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रू० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)					**0.000**	6250 वृक्ष		1.875		**1.875**	6250 वृक्ष		1.875		**1.875**	**3.750**	

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2016–17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष 2017–18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 254.85					तृतीय वर्ष 2018–19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 293.08					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रू0								7.500		**7.500**					**0.000**	**7.500**	
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष					**0.000**	6250 वृक्ष	0.637			**0.637**	6250 वृक्ष	0.733			**0.733**	**1.370**	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		**0.250**			0.250		**0.250**		0.000	0.250		**0.250**	**0.750**	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	**0.300**	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	**0.600**	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	**0.600**	**1.500**	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रू0 प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			**1.440**	12 CRP (12 माह)	2.880			**2.880**	12 CRP (12 माह)	2.880			**2.880**	**7.200**	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		**0.500**			0.500		**0.500**			0.500		**0.500**	**1.500**	
	कुल योग–			***4.841***	***3.969***	***0.510***	***9.320***		***8.099***	***23.625***	***0.250***	***31.974***		***5.129***	***3.625***	***0.250***	***9.004***	***50.298***	
14	**Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)**	**.@ 2 % of Project cost**			0.186		**0.186**			0.639		**0.639**			0.180		**0.180**	**1.005**	
	सकल योग–			**4.841**	**4.155**	**0.510**	**9.506**		**8.099**	**24.264**	**0.250**	**32.613**		**5.129**	**3.805**	**0.250**	**9.184**	**51.303**	

नोट : वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 221.61 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

23/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2016-17\Sub-Allotment 2016-17\TSP\MFP\MFP (Advance work)

कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तीन वर्षीय) की कार्य दर

लाह–पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार

(रू० लाख में)

क्र0 सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2016–17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष 2017–18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 254.85					तृतीय वर्ष 2018–19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 293.08					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षो का चिह्नांकन	रू० 2.65 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	**0.331**		0.000	0.000	0.000	**0.000**		0.000	0.000	0.000	**0.000**	**0.331**	प्रति लाभुक परिवार 10 कुसुम के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाएगा जिसे तीन सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट–1 के लाभार्थियों द्वारा पूर्व से ही कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह मे बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों (4 वृक्ष प्रति परिवार) की कटाई छटाई की जाएगी।
1	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रू0 प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**			1.000	0.250	**1.250**	**3.750**	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची (IINRG) के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक–एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	**0.260**					**0.000**					**0.000**	**0.260**	
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रू० 1775/– प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		**2.219**					**0.000**					**0.000**	**2.219**	प्रथम वर्ष में सेट–1 के लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों की कटाई छटाई की जाएगी। द्वितीय वर्ष में सेट–3 के 3750 वृक्षों की कटाई छटाई एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण किया जाएगा। तृतीय वर्ष में सेट –3 के 3750 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण।
4	वृक्षों की कटाई–छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	5000 वृक्ष	2.216			**2.216**	3750 वृक्ष	1.911			**1.911**					**0.000**	**4.127**	
5	बीहन लाह का क्रय	4–6 कि0 ग्राम प्रति वृक्ष; रू० 200.00 प्रति कि०ग्रा०	3750 वृक्ष		45.000		**45.000**	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 5000 वृक्ष				**0.000**	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 3750 वृक्ष				**0.000**	**45.000**	बीहन लाह का क्रय निविदा के माध्यम से किया जायेगा।
6	संचारण व्यय	1 मा0 दि0 प्रति 5 वृक्ष	3750 वृक्ष	1.662			**1.662**	5000 वृक्ष	2.549			**2.549**	3750 वृक्ष	2.198			**2.198**	**6.409**	क्रय किए गए बीहन लाह से प्रथम वर्ष के जनवरी/ फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण सेट–1 के पूर्व से लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए चयनित 3750 वृक्षों पर किया जाएगा तथा द्वितीय वर्ष के जनवरी माह में सेट–2 के वृक्षों

क्र0 सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2016–17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष 2017–18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 254.85					तृतीय वर्ष 2018–19 मजदूरी प्रति मानव दिवस 293.08					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
7	फसल संरक्षण पर व्यय	60 रू० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250		**2.250**	5000 वृक्ष		3.000		**3.000**	3750 वृक्ष		2.250		**2.250**	**7.500**	तथा तृतीय वर्ष में सेट–3 के 3750 वृक्षों पर जनवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा। जो कृषक फलेंमजिया सेमियालता प्रजाति की खेती करेंगें वे तृतीय वर्ष के जुलाई माह में बीहन लाह का संचारण करेंगें।
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रू०			7.500		**7.500**					**0.000**					**0.000**	**7.500**	
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	3750 वृक्ष	0.332			**0.332**	5000 वृक्ष	0.510			**0.510**	3750 वृक्ष	0.440			**0.440**	**1.282**	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		**0.250**			0.250		**0.250**		0.000	0.250		**0.250**	**0.750**	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक@ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक / माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	**0.300**	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	**0.600**	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	**0.600**	**1.500**	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रू० प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			**1.440**	12 CRP (12 माह)	2.880			**2.880**	12 CRP (12 माह)	2.880			**2.880**	**7.200**	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		**0.500**			0.500		**0.500**			0.500		**0.500**	**1.500**	
	कुल योग–			***6.282***	***58.719***	***0.510***	***65.511***		***8.450***	***4.750***	***0.250***	***13.450***		***6.118***	***4.000***	***0.250***	***10.368***	***89.328***	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)				1.310		**1.310**			0.269		**0.269**			0.207		**0.207**	**1.787**	
	सकल योग–			**6.282**	**60.029**	**0.510**	**66.821**		**8.450**	**5.019**	**0.250**	**13.719**		**6.118**	**4.207**	**0.250**	**10.575**	**91.115**	

नोट : वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 221.61 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

23/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

झारखण्ड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/yb-14/2016/733 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29931	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	484,100.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार एक सौ
2	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29932	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	484,100.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार एक सौ
3	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29933	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	484,100.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार एक सौ

योग: 1,452,300.00

क्रमिक योग: रुपये चौदह लाख बावन हजार तीन सौ

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 23/5/2016

पत्र संख्या - 01/yb-14/2016/733 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29934	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	484,100.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार एक सौ
5	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29935	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	628,200.00 रुपये छः लाख अठाइस हजार दो सौ
6	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29936	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	628,200.00 रुपये छः लाख अठाइस हजार दो सौ
7	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29937	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	628,200.00 रुपये छः लाख अठाइस हजार दो सौ

योग: 2,368,700.00

क्रमिक योग: रुपये अडतीस लाख इक्कीस हजार 3,821,000.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/yb-14/2016/733 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29938	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,592,500.00 रुपये पंद्रह लाख बयानवे हजार पॉच सौ
9	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	29942	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	1,118,000.00 रुपये ग्यारह लाख अठारह हजार
10	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29947	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	415,500.00 रुपये चार लाख पंद्रह हजार पॉच सौ
11	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29948	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	415,500.00 रुपये चार लाख पंद्रह हजार पॉच सौ

योग: 3,541,500.00

क्रमिक योग: रुपये तीहत्तर लाख बासठ हजार पॉच सौ 7,362,500.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDl.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-14/2016/733 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29949	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	415,500.00 रुपये चार लाख पंद्रह हजार पॉच सै
13	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29950	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	415,500.00 रुपये चार लाख पंद्रह हजार पॉच सै
14	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29951	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	6,002,900.00 रुपये साहठ लाख दो हजार नौ सै
15	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29952	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	6,002,900.00 रुपये साहठ लाख दो हजार नौ सै

योग: 12,836,800.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड एक लाख निन्नानवे हजार तीन सौ 20,199,300.00

Chauhan 23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-14/2016/733 दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29953	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	6,002,900.00 रुपये साहठ लाख दो हजार नौ सौ
17	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29954	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	751,900.00 रुपये सात लाख इकावन हजार नौ सौ
18	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29955	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	701,800.00 रुपये सात लाख एक हजार आठ सौ
19	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	29956	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	51,000.00 रुपये इकावन हजा

योग: 7,507,600.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सित्योत्तर लाख छः हजार नौ सौ 27,706,900.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	29957	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	51,000.00 रुपये इकावन हजा
21	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	29958	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	51,000.00 रुपये इकावन हजा
22	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	29959	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	51,000.00 रुपये इकावन हजा
23	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	29960	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	51,000.00 रुपये इकावन हजा

योग: 204,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड उन्नासी लाख दस हजार नौ सौ 27,910,900.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/YB-14/2016/733 | दिनांक - 23-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	29961	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	51,000.00 रुपये इकावन हजा·
25	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	29962	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	51,000.00 रुपये इकावन हजा·
26	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	29963	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	5,600.00 रुपये पॉच हजार छः सै
27	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	29964	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	5,000.00 रुपये पॉच हजा·

योग: 112,600.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड अस्सी लाख तेइस हजार पॉच सौ 28,023,500.00

23/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI